न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 534 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बिरबलराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामप्यारी बेवा बिरबलराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
3. सुमन धर्मपत्नी बंशीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
4. सावित्री उर्फ रूकमा पत्नी औमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
5. सुमित्रा पत्नी सुभाष जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
6. कौशल्या धर्मपत्नी भादरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
7. तारामणी धर्मपत्नी राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
8. गिरदावरी पत्नी महेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
9. सावित्री पत्नी चिरजीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 221/161 के खसरा न0 338/5 की 2.5300हैक , खसरा न0 338/6 की 7.1950हैक कुल 9.7250हैक तथा रोही मौजा ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 98/113 के खसरा न0 171/3 की 5.8238हैक भूमि एवं रोही मोजा ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 110/112 की 8.3205हैक भूमि स्थित है जिसकी रामप्यारी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में उसकी माता के नाम से दर्ज थी जिसकी उम्र 92 साल की हो चुकी है वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता होने पर वाद भूमि वाद की मद संख्या 2 के अनुसार प्राप्त हुई है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व परिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो काफी वृद्व हो चुकी है व भूमि काश्त करने में असमर्थ है वाद भूमि के सम्बध में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का परिवारिक समझौता हो चुका है उसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 जो वादी की माता है वादी की माता काफी वृद्व हो चुकी है जो काश्त करने में असमर्थ है इसलिये वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता होने पर वाद भूमि वाद की मद संख्या 2 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को प्राप्त हुई है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 110/112 के खसरा न0 202 की 6.474हैक खसरा न0 147/1 की 1.8465हैक कुल 8.3205हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 4.16025हैक एवं प्रतिवादी संख्या 3 सुमन का 4.16025हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगी व रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 221/161 के खसरा 338/5 की 2.5300हैक व खसरा न0 338/6 की 7.1950हैक कुल 9.7250हैक भूमि में वादी अकेला 3.5975हैक व प्रतिवादी संख्या 4 का 3.5975हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 का 0.6325हैक तथा प्रतिवादी संख्या 9 की 0.6325हैक भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 की 0.6325हैक भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 7 तारामणी का 0.6325हैक भूमि की खातेदार काश्तकार रहेगी एवं रोही मोजा ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 98/113 के खसरा न0 171/3 की 5.8288हैक भूमि जिसमें प्रतिवादीया संख्या 8 का 4.303हैक व प्रतिवादीया संख्या 6 की 0.3893हैक व प्रतिवादी संख्या 5 का 0.3795हैक एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 0.3795हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 9 का 0.3795हैक भूमि रहेगीप्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official